राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत ककोड जिला टोंक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः– 2/2015

निर्णय दिनांक– 22.6.2016

उनवान

जायदा पत्नी जलाल खां जाति बंजारा मुसलमान निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1272 दिनांक 31.3.2014 तहसीलदार उनियारा

उपस्थितः– श्री बाबूलाल कासलीवाल वकील अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी ख0न0 897 रकबा 0.72 है0 मे से 0.25 है0 गे0मु0 आबादी वाके ककोड खातेदार बाबूलाल पुत्र मोडूलाल जाति बैरवा निवासी गेणोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी से कय की थी, जिसका नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष मे नही खोला गया क्योंकि वरवक्त संपरिवर्तन आदेश जरिये उक्त नामान्तरकरण उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन के अलावा सिवायचक आबासीय प्रयोजनार्थ दर्ज कर दी गई।

आराजी ख0न0 897 रकबा 0.72 है0 किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा बाबूलाल पुत्र मोडूलाल जाति बैरवा निवासी गेणोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी, जिसमे से 0.25 है0 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के आदेश दिनांक 15.1.2014 को तहसीलदार उनियारा द्वारा जारी किये गये। आदेश की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1272 खोला गया जिसमे बाद जांच उक्त संपरिवर्तन आराजी नया नम्बर 897/1 रकबा 0.25 है0 गे0मु0 आबादी दिया गया तथा तथा तहसीलदार उनियारा द्वारा गलत रूप से अंकित किया गया कि ख0न0 897 रकबा 0.72 है0 मे से 0.25 है0 भूमि कालम 7 के खाते से कम कर सिवायचक आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज करने के आदेश दिये गये है, जो अवैधानिक है। आराजी ख0न0 897/1 रकबा 0.25 है0 किस्म गे0मु0 आबादी को अपीलान्ट द्वारा ज़रिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3.4.2014 को कय किया गया था और कय करने के पश्चात जब अपीलान्ट उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तररकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक गे0मु0 आबादी दर्ज है, जिसका नामान्तरकरण केत्री अपीलान्ट के पक्ष मे नही खोला जा सकता है। बाबूलाल बैरवा की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय की जा चुकी है, इस कारण अपीलान्ट पीडित

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

पक्ष होने के कारण उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व अपील पेश करने के लिये तत्कालीन खातेदार का सक्षम प्रतिनिधी है। इस कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतः तहसीलदार उनियारा के द्वारा विधि विरूद्व रूप से तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1272 को खारिज किया जाकर आदेशित किया जावे कि उक्त तत्कालीन खातेदार के खाते से कम न कर केवल ख0न0 897/1 रकबा 0.25 है0 गे0मु0 आबादी के रूप तत्कालीन खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर अपीलान्ट द्वारा पंजीबद्व करवाये गयें विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष मे उक्त आराजी का नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

उक्त अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1272 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा मे तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 31.3.2014 के द्वारा हस्ब रिपोर्ट आई.एल.आर./पट0 एवं भू संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 10 दिनांक 15.1.14 की पालना मे आराजी ख0न0 897 रकबा 0.72 मे से 0.25 है0 भूमि कालम 7 के खाते से कम कर सिवायचक आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने तथा शेष रकबा यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज हो जाने से तत्कालीन खातेदार का विवादित आराजी मे पूर्ण स्वत्व ही समाप्त होना पाया जाता है। उक्त रकबा वादी की खातेदारी मे से कम करना गलत है। संपरिवर्तित भूमि का राजस्व रेकार्ड मे संपरिवर्तन का ही रिकार्ड मे इन्द्राज करना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे नामान्तरकरण संख्या 1272 वाके ग्राम ककोड मे दर्ज सिवायचक आवासीय प्रयोजनार्थ के स्थान पर गे0मु0 आबादी की खातेदारी मे दर्ज करे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.5.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा (टोंक)

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा

Scanned by CamScanner